



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

A State University-Government of Uttar Pradesh; NAAC A++ Accredited; ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि./सम्बद्धता/2024/3870-33

दिनांक : 03.09.2024

सेवा में,

- 1-समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर, बरेली।
- 2-समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/प्रबन्धक/सचिव,
समस्त सम्बद्ध-राजकीय/संघटक/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय-काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के अन्तर्गत आधिकारिक 'लोगो' का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के संलग्न पत्रांक : 2111/सत्तर-3-2024 दिनांक 30 अगस्त, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के साथ संलग्न मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-310/2024/2378/चार-2024, दिनांक 22.08.2024 के माध्यम से 'काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव' के 'लोगो' का प्रयोग समस्त सरकारी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफार्म, सरकारी कार्यक्रमों, व्यावसायिक एवं सरकारी विज्ञापनों, प्रदेश सरकार की विकास एवं अन्य योजनाओं तथा सरकारी पत्राचार एवं स्टेशनरी आदि में अनिवार्य रूप से प्रयोग करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय परिसर एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय कृपया उपर्युक्तानुसार प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि अनुपालन आख्या समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध करायी जा सके।


संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

भवदीय


कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियन्त्रक।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/चीफ प्राक्टर/क्रीड़ा सचिव/समस्त निदेशक/समस्त वार्डन।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली-मुरादाबाद परिक्षेत्र, बरेली।
5. समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना।
6. समन्वयक, विश्वविद्यालय सांस्कृतिक केन्द्र।
7. कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, विश्वविद्यालय परिसर, बरेली।
8. मीडिया प्रभारी।
9. उप-कुलसचिव (प्रशासन/सम्बद्धता)
10. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)
11. निजी सचिव-कुलपति।
12. प्रभारी, वेबसाइट।
13. वैयक्तिक सहायक-कुलसचिव।


कुलसचिव



महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

A State University-Government of Uttar Pradesh; NAAC A++ Accredited; ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified

पत्रांक : एम.जे.पी.रू.वि./सम्बद्धता/2024/3820-33

दिनांक : 03.09.2024

सेवा में,

- 1-समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर, बरेली।
- 2-समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक/प्रबन्धक/सचिव,
समस्त सम्बद्ध-राजकीय/संघटक/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली।

विषय-काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के अन्तर्गत आधिकारिक 'लोगो' का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उप सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के संलग्न पत्रांक : 2111/सत्तर-3-2024 दिनांक 30 अगस्त, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के साथ संलग्न मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-310/2024/2378/चार-2024, दिनांक 22.08.2024 के माध्यम से 'काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव' के 'लोगो' का प्रयोग समस्त सरकारी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफार्म, सरकारी कार्यक्रमों, व्यावसायिक एवं सरकारी विज्ञापनों, प्रदेश सरकार की विकास एवं अन्य योजनाओं तथा सरकारी पत्राचार एवं स्टेशनरी आदि में अनिवार्य रूप से प्रयोग करने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय परिसर एवं समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय कृपया उपर्युक्तानुसार प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि अनुपालन आख्या समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध करायी जा सके।

संलग्नक : उपर्युक्तानुसार।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. वित्त अधिकारी।
2. परीक्षा नियन्त्रक।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/चीफ प्राक्टर/क्रीड़ा सचिव/समस्त निदेशक/समस्त वार्डन।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली-मुरादाबाद परिक्षेत्र, बरेली।
5. समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना।
6. समन्वयक, विश्वविद्यालय सांस्कृतिक केन्द्र।
7. कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, विश्वविद्यालय परिसर, बरेली।
8. मीडिया प्रभारी।
9. उप-कुलसचिव (प्रशासन/सम्बद्धता)
10. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)
11. निजी सचिव-कुलपति।
12. प्रभारी, वेबसाइट।
13. वैयक्तिक सहायक-कुलसचिव।

कुलसचिव

प्रेषक,

एस0पी0 मिश्र,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. उप निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, लखनऊ।
4. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ।
5. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2024

विषय : काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के अन्तर्गत आधिकारिक 'लोगो' का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-310/2024/2378/चार-2024, दिनांक 22.08.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से संदर्भित पत्र के साथ संलग्न 'काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव' के 'लोगो' का प्रयोग समस्त सरकारी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफार्म, सरकारी कार्यक्रमों, व्यावसायिक एवं सरकारी विज्ञापनों, प्रदेश सरकार की विकास एवं अन्य योजनाओं तथा सरकारी पत्राचार एवं स्टेशनरी आदि में अनिवार्य रूप से प्रयोग करने के निर्देश दिये गये हैं।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए उसकी अनुपालन आख्या शासन को समयान्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(एस0पी0 मिश्र)

उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 2- निजी सचिव, समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 3- समस्त संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
- 4- समस्त अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

D.R. (A.P. Misra.)

श्री प्रमोद मिश्र

31.08.24

आज्ञा से,

(एस0पी0 मिश्र)

उप सचिव।

अपक
कुलसचिव

प्रमुख सचिव कार्यालय में
प्राप्ति दिनांक 27/8/24



संख्या 211/...../2024

संख्या 2643/11/PSHED/2024

काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव
संख्या- 310 /2024/ 2378 /चार-2024

प्रेषक,
मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2. विभागाध्यक्ष,
समस्त विभाग, उत्तर प्रदेश
3. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
5. समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

संस्कृति अनुभाग:

लखनऊ: दिनांक 22 अगस्त, 2024

विषय- काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के अन्तर्गत आधिकारिक 'लोगो' का प्रयोग किये जाने के संबंध में।

विदित है कि "काकोरी ट्रेन एक्शन" की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर "काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव" का आयोजन 09 अगस्त, 2024 से 09 अगस्त, 2025 तक समारोहपूर्वक मनाया जा रहा है। "काकोरी ट्रेन एक्शन" की 100वीं वर्षगांठ के अन्तर्गत "काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव" राज्य स्तर का कार्यक्रम है। उक्त आयोजन के अन्तर्गत 'काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का लोगो' प्रदेश सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से संलग्न प्रारूप पर निर्गत किया जाता है।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

20/8/24

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 'काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव' के 'लोगो' (प्रारूप संलग्न) का प्रयोग समस्त सरकारी वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफार्म, सरकारी कार्यक्रमों, व्यावसायिक एवं सरकारी विज्ञापनों, प्रदेश सरकार की विकास एवं अन्य योजनाओं तथा सरकारी पत्राचार एवं स्टेशनरी आदि में अनिवार्य रूप से प्रयोग कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह
मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक तदेव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. निजी सचिव, मा0 मंत्री, संस्कृति विभाग, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मुकेश कुमार मेश्राम
प्रमुख सचिव

<https://shasanadesh.up.gov.in>

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकी जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

